बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंच को दूर करने के लिए विश्व के प्रमुख देशों द्वारा बनाए गए कानून

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है।
- 29 नवंबर को यह कानून ऑस्ट्रेलियाई सीनेट द्वारा 34–19 वोटों से पारित किया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने इसे एक दिन पहले यानि 28 नवंबर को 13 के मुकाबले 102 वोटों से अपने तरह के पहले कानून को मंजूरी दी थी।

कानून क्या कहता है ?

- ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह कानून पारित किया गया है।

- यह कानून कहता है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके लिए आयु प्रतिबंध नहीं है, उन्हें अपने प्लेटफार्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खाता खोलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा।
- हालांकि आयु सत्यापन के परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण चल रहा है।
- वर्तमान में इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर खाता बनाने के लिए जन्मतिथि प्रदान करने और आयु मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनियां यह जांच नहीं करती है कि उपयोगकर्ता द्वारा आयु संबंधित दी गई जानकारी सही है या नहीं।
- ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित इस कानून के अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया कंपनियां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफार्म पर अकाउंट खोलने से रोकने में विफल रहती है, तो उस पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 275 करोड रुपए) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- हालांकि मैसेजिंग एप्स, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं और प्लेटफार्म जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, उन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है।
- हालांकि उपरोक्त सेवाओं के लिए कानून में बच्चों के माता-पिता या देखभालकर्ताओं की सहमति लेनी आवश्यक बनाया गया है।

विश्व के अन्य देशों द्वारा बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

भारत

- भारत में बच्चों को सोशल मीडिया की पहुंच से बचाने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रतिबंध नहीं है।

- हालांकि भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में बच्चों के डेटा को ऑनलाइन संसाधित करने के लिए आयु सत्यापन की आवश्यकता की बात कही गई है।
- इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति के लिए डेटा फिडुशियरीज की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

➢ संयुक्त राज्य अमेरिका

- संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ष 1998 में अधिनियमित बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA) के तहत वेबसाइटों को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।
- वर्ष 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारित बच्चों के इंटरनेट संरक्षण अधिनियम (CIPA) द्वारा स्कूलों और पुस्तकालय में अनुचित सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

➢ यूनाइटेड किंगडम

- यूनाइटेड किंगडम में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधों की कोई मौजूदा योजना नहीं है।
- हालांकि ग्रेट ब्रिटेन के डिजिटल मंत्री पीटर काइल ने कहा है कि बच्चों पर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के उपयोग के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है एवं संभवत: अगले वर्ष तक ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाएगा।

- हालांकि ग्रेट ब्रिटेन सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए उचित आयु प्रतिबंध सहित सख्त मानक तय करने के लिए ऋषि सुनक सरकार द्वारा वर्ष 2023 में एक अधिनियम पारित किया गया था।

➢ यूरोपीय संघ (EU)

- यूरोपीय संघ द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए माता-पिता की सहमति को आवश्यक बना दिया गया है।
- हालांकि EU के 27 सदस्य देश 16 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 13 वर्ष करने के लिए स्वतंत्र है।

➢ नॉर्वे

- नॉर्वे सरकार द्वारा पिछले महीने प्रस्ताव दिया गया था कि वह 15 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग आवश्यक शर्तों पर सहमति देकर कर सकते हैं।
- हालांकि अगर उनकी उम्र 15 वर्ष से कम है, तो इसके लिए उनके माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
- हालांकि नॉर्वे सरकार द्वारा दिया गया यह प्रस्ताव नॉर्वे की संसद तक नहीं पहुंच सका है।
- नॉर्वे सरकार के अनुसार नॉर्वे में 9 वर्षों के अधिक उम्र के आधे से अधिक बच्चे किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।

➢ फ्रांस

- फ्रांस सरकार द्वारा वर्ष 2023 में एक कानून पारित किया, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 15 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के खाते बनाने के लिए माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- इसी वर्ष अप्रैल महीने में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रान द्वारा नियुक्त एक पैनल ने 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सेलफोनऔर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट–सक्षम फोन पर प्रतिबंध लगाने का सख्त प्रस्ताव दिया गया था।
- हालांकि इस प्रतिबंधों को अब तक फ्रांसीसी सरकार द्वारा कानून के रूप में तब्दील नहीं किया गया है।

➢ जर्मनी

- जर्मनी में आधिकारिक रूप से 13 से 16 वर्ष के आयु के नाबालिगों को सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति तभी दी जाती है, जब इसके लिए उनके माता-पिता की सहमति होती है।
- हालांकि जर्मनी के बाल संरक्षण संस्थाएं उपरोक्त नियमों को अपर्याप्त मानते हुए मौजूदा नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने की मांग कर रहे हैं।

➢ बेल्जियम

- वर्ष 2018 में बेल्जियम सरकार द्वारा बनाया गया कानून बच्चों को माता-पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 13 वर्ष से अधिक का होना आवश्यक बताता है।

➢ नीदरलैंड

- नीदरलैंड में वर्तमान में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु के संबंध में कोई कानून नहीं है।
- हालांकि नीदरलैंड सरकार द्वारा जनवरी 2024 से कक्षाओं में मोबाइल उपकरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

➢ इटली

- इटली में 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया खातों को खोलने के लिए माता-पिता की सहमति को आवश्यक बनाया गया है।

➢ चीन

- वर्ष 2023 में चीन साइबर स्पेस नियामक ने कहा था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने स्मार्टफोन पर दिन में अधिकतम 2 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं।
- हालांकि चीन के साइबर स्पेस प्रशासन के अनुसार चीन जल्द ही "माइनर मोड प्रोग्राम" पेश कर सकता है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग करने से रोक लगाएगा।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA) भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जो 1 सितंबर 2023 से पूरे देश में लागू है।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल युग में लोगों की डेटा की गोपनीयता की रक्षा करना है।